

तात्पुर विद्या का अध्ययन एवं अभ्यास के लिए इसकी विभिन्न विधियों का अध्ययन करना चाहिए। इनमें से एक विधि यह है कि विद्या का अध्ययन एवं अभ्यास के लिए उपर्युक्त विषयों का अध्ययन करना चाहिए। इनमें से एक विधि यह है कि विद्या का अध्ययन एवं अभ्यास के लिए उपर्युक्त विषयों का अध्ययन करना चाहिए।

अनिवार्य होगा, इनके अभाव में अमर्थों को नियुक्ति पर कारबूझन नहीं कर सकता। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारार (समान पद न हो) कार्मिक के विदिवत् कार्यमुक्त होकर आने पर यह आवश्यक नहीं होगा।

अध्यापक/प्राक् शास्त्री/उत्तर मध्यम योग्यता होना अनियार्थ है। इस योग्यता के अभाव में अध्यापक लेवल प्रथम— संस्कृत पद वर काठीरस्म नहीं करावं एवं दररादेजों का एक सेट (अमर्याधा ग्रन्थि) कार्यालय अभिलेख अध्यापक/प्राक् शास्त्री/उत्तर मध्यम योग्यता होना अनियार्थ है। इस योग्यता के अभाव में अध्यापक लेवल प्रथम— संस्कृत पद वर काठीरस्म नहीं करावं एवं दररादेजों का एक सेट (अमर्याधा ग्रन्थि) कार्यालय अभिलेख

किया गया है कि “अपराधन का नियम इन प्र लाग नहीं होता है अंतर अन्तर से में वर्गित व्यक्ति कीमिलेयर का नहीं है तथा उल्लंघन करता है अब रक्षण अधिकारी द्वारा यह प्राप्ति द्वारा होना चाहिए एवं नियमनुसार रक्षण अधिकारी द्वारा यह प्राप्ति द्वारा होना चाहिए। अन्य पिछड़ दाने में चयनित यदि

कोई अमर्यांशु कीनिलय की श्रेणी में आता है तो अमर्यांशु के कार्यग्रहण नहीं कराया जावें तथा उसके संबंध में पूरा टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सुखना भिजवाई जावें।

द्वारा मैं चयनित महला आदेका के ममले म स्थिर पर्यंत के नाम एवं पर्यंत के आय के अधीकरण पर जोर किया हुआ है तो यह प्रमाणित पर मस्त्य नहीं है, ५५८० प्रमाणित है। उपरान्त यह प्रमाण पत्र की सुनिश्चितता आप अपने तरार पर करने के उपरान्त दिग्बह के पश्चात् का बना हुआ प्रस्तुत करें तो ही सत्य होगा। ऐसा नहीं होने पर अभ्यर्थी को कार्यग्रह नहीं कराया जाए। उपरोक्त दस्ताव अत्यं पिछड़ा दर्शन के प्रमाण पत्र के प्रमाण पत्र के सुनिश्चितता आप अपने तरार पर करने के उपरान्त

पिछां दर्ता मध्ये वरागिनी कांतीची अवधारणा आहेदन पत्र को संथळी संलग्न अंगाचा पाठ्यात जाऊन कै समय आवडेन को प्रसरुत अन्य पिछां दर्ता प्रमाण प्रवर्त घर घरी 1 वर्ष से दुर्लभ होते ऐसा असर उत्तरांकांतरा संतान / प्रसरुत किंवद्या गये

हेनैं पर मान होगा परस्तु वर्तमान में एम.डी.सी. का अन्तर्गत होने एवं उक्त प्रमाण पत्र शीघ्र हन्दाकार प्रस्तुत करने की वरचालदस्ता अद्यथ प्राप्त करें। अपेक्षित वर्ष २०२५ को वर्तमान समय समाप्त होने के सम्बन्ध में शाश्वत समय समाप्त होने की वरचालदस्ता अद्यथ जारिया अनुसन्धित जारिया हो।

दर्द के लिए अरक्षण की विद्यान रक्तीन के अन्तर्गत नहीं आते हैं। का जाति प्रणाली-प्र होन अवश्यक है। इस क्षेत्री में आवेदित उम्मीदेश्वर हुतु कालिक (कु-कु-2) कियागा को अधिसूचना दिनांक 19.02.2019 के प्रब्लेम लागू हुआ।

तहुं होने संबंधी अधिकार का शपथ पत्र 50/- रुपये के ताँच ज्युडिषियल स्टान्ड पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जाए।

पत्र अंदरशक्ति के से प्राप्त कर लिया जावें।
अटेकु द्वारा देहजन नहीं हैं जाने का इन दोषणा पत्र प्राप्त किया जाए।

मात्रा पर व्यापक संस्कृत करने वाले संस्कृत के एवं संस्कृत अध्ययन के कार्यक्रम को अप्रैल 2007 की तिथि से नियमित रूप से आयोजित करना।

नियारित प्रयत्न में प्राप्त की जाएँ।

Baikai BefNo.: 3954670

22

DRAFT

7. पदस्थापन रथान अवंटन में आपसि होने पर अमृद्द दिनांक- 06.06.2023 तक अपनी परिणेतना नय अधार निवेशक, संस्कृत शिक्षा को प्रस्तुत कर सकते हैं।
- इन्हें उक्त नियुक्ति उपर्यंत पदस्थापित रहन पर **वित्तांक- 15.06.2023** तक कार्यपाल करना उन्निवेश होगा, उक्त वित्तांक तक कार्यपाल नहीं करते वर्ते अस्थार्थ के संबंध में एह नियुक्ति / पदस्थापन आदेश रखते हैं।
- निम्नरूप माना जाएगा। संदेश कार्यालयाधक्ष अमृद्द को कार्यपाल की सूचना तत्काल अथवा कार्यपाल नहीं करते दाले अस्थार्थ की सूचना निर्दिष्ट अंतिम तिथि के पश्चात तत्काल कार्यालय की ई-मेल sans.teacher.2022@gmail.com पर प्रेसेट कर उसकी प्रति डाक द्वारा भिजवाने की खबरें।

(डॉ. भास्कर शर्मा)

निदेशक

संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक. निसशि / भर्ती अमृद्दा / पं४(1) / अध्यापक / 2021 / 12266 - 273

प्रतिलिपि निम्नलिखित को ऐडनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. श्रीमान् दिविज लक्ष्मण शासन संस्कृत विद्यालयाधक्ष, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. श्रीमान् शासन संस्कृत विद्या, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. श्रीमान् शासन उप सचिव, विद्या (कुप-6) विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. श्रीमान् मुख्य विक्रिता एवं स्वारक्ष्य अधिकारी, संबंधित जिला।
5. संसदीकृत संस्कृत विद्या अधिकारी, जयपुर/जोधपुर/अजमेर/दीकौनेसर (दूरल)/कोटा/उदयपुर/भरतपुर।
6. संबंधित कार्यालयाधक्ष, उप. दिविज, प्रद. सं. वि. को लेजकर लेख है कि अस्थार्थ के कार्यसम करते ही इसकी सूचना अदिलब संभाग एवं निदेशालय में जिजड़ा है।
7. वेबसाइट प्रमार्जन।
8. संबंधित अस्थार्थ।
9. संरक्षण परिज्ञाका।

निदेशक

संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर

Document certified by BHASKAR SHARMA <director.sanskrit@gmail.com>.

Digitally Signed by null
Designation : Director
Date : 01-06-2023 11:26:05